UPBJ240013632020

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, नजीबाबाद, जनपद बिजनौर
फौ0 वाद संख्या– 674 / 2020
सरकार बनाम नितिन शर्मा आदि
मु0अ0सं0– 89 / 2020
धारा–379, 411 भा.दं.सं.
थाना– नजीबाबाद, जिला बिजनौर।

दिनांक 05.05.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त जिला कारागार से उपस्थित आया।

अभियुक्त की ओर से प्रार्थनापत्र वास्ते जुर्म इकबाल इस आशय का दाखिल किया गया कि प्रार्थी दि0 06.03.2020 से प्रस्तुत प्रकरण में जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी बहुत गरीब व्यक्ति है। उसका कोई पैरोकार नहीं है। प्रार्थी अपना अपराध स्वीकार करता है। अतः प्रार्थना की गई कि वाद उपरोक्त में प्रार्थी द्वारा जुर्म इकबाल को स्वीकार करते हुए उपरोक्त वाद को समाप्त करने के आदेश पारित करने की कृपा करें। प्रार्थनापत्र जेलर, जिला कारागार, बिजनौर द्वारा अग्रसारित किया गया है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र जेलर, जिला कारागार, बिजनौर द्वारा अग्रसारित किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद में बरामदगी के दिनांक 05.03.2020 से अगले दिवस अर्थात दि0 06.03.2020 से ही अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है। उक्त वाद वर्तमान में आरोप हेतु नियत है, जबकि शेष अभियुक्तगण अनुपस्थित चल रहे हैं तथा उनके विरूद्ध एन.बी.डब्लू. जारी हैं। इसी स्तर पर अभियुक्त की ओर से जुर्म इकबाल का प्रार्थनापत्र दिया गया और कथन किया गया कि प्रार्थी उपरोक्त वाद को जुर्म इकबाल करके समाप्त करना चाहता है। अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि वह लगभग 21 वर्षीय नवयुवक है तथा अत्यन्त गरीब व्यक्ति है, उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। चूंकि अभियुक्त अपने जुर्म का इकबाल कर मुकदमा समाप्त करना चाहता है तथा अभियुक्त द्वारा भविष्य में किसी ऐसी गतिविधि में लिप्त न होने का भी कथन किया गया है। चूंकि अभियुक्त सुधरना चाहता है, ऐसी स्थिति में न्याय की मंशा के अनुरूप अभियुक्त को सुधरने का अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः समस्त तथ्यों एवं अभियुक्त की आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जुर्म इकबाल के आधार पर अभियुक्त को धारा–379, 411 भा.दं.सं. के अन्तर्गत दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

जुर्म इकबाल के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त आयुष थापा उर्फ नानू को धारा 379, 411 भा.दं.सं. के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त आयुष थापा उर्फ नानू को धारा 379 भा.दं.सं. के दण्डनीय अपराध हेतु 02 वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं 5,000 / – रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त एक माह का साधारण कारावास भुगतेगा।

अभियुक्त आयुष थापा उर्फ नानू को धारा 411 भा.दं.सं. के दण्डनीय अपराध हेतु 02 वर्ष के साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त की सभी सजाएं साथ–साथ चलेगी। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में जेल में बिताई गई अवधि अधिरोपित सजा की अवधि में समायोजित की जाएगी।

अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में जिला कारागार में निरूद्ध है। उसका दोषसिद्धि वारण्ट अविलम्ब जिला कारागार, बिजनौर प्रेषित किया जाए।

(अखिल कुमार निझावन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, नजीबाबाद,
बिजनौर। यू.पी. 03212

दि0 05.05.2022